भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3578

(शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लेखा की जांच

3578. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कंपनियों के चालू खातों की जांच करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कोई कदम उठाया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने सूची से अलग की गई कंपनियों के बहाल होने तक उनकी चल और अचल परिसंपत्तियों के अंतरण को रोकने हेतु कोई विकासोपाय किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): मंत्रालय के गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा चेतावनी देने और कारपोरेट कदाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए 'पूर्व चेतावनी प्रणाली' विकसित की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए संकल्पनात्मक ढांचा तैयार करने हेतु परामर्शी एजेंसी की सेवाएं ली गई हैं।

(ग) और (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 250 के उपबंधों के अनुसार, यदि किसी कंपनी का नाम उक्त अधिनियम की धारा 248 के अधीन काट दिया जाता है और उसका विघटन किया जाता है, वह कंपनी धारा 248(5) के अधीन सूचना में उल्लिखित तारीख को और उसके बाद से वह कंपनी के रूप में परिचालन बंद कर देगी और उसे जारी किया गया निगमन प्रमाणपत्र कंपनी को देय राशि उगाहने और कंपनी की देयताओं या बाध्यताओं का भुगतान करने या निर्वहन करने के उद्देश्य को छोड़कर, उसी तारीख से रद्द समझा जाएगा। इस संबंध में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के साथ ऐसी नाम काटी गई कंपनियों की चल आस्तियों और अचल संपत्तियों के अंतरण से संबंधित मामला उठाया है।

*****